[illegible] के लिये
हस्ता
स्थान: आगरा
दिनांक: 27 जुलाई, 2018

कृते जैन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ICSI M. No.: A22601

फार्म ए
सार्वजनिक घोषणा

[illegible] एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2014 के नियम 6 के अनुसार]

	प्रथम/पिछला विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	इंडियन मोटोकास्ट एंड इंडियन प्रोडक्ट्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के गठित होने की तिथि	20.07.1995
3.	प्राधिकारी जिसमें कार्पोरेट ऋणी संगठित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार - दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान संख्या	L74899DL1995PLC071227
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के रजिस्टर्ड कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता (यदि भिन्न हो)	ई-2/7, अली विलेज पार्क, खसरा नं. 25/3, 25/4, नई दिल्ली-110058
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में दिवालियापन की शुरुआत तिथि	27.07.2018
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की संभावित समाप्ति तिथि	24.01.2019
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	नवल कुमार जैन आईपी पंजीकरण सं. IN-[illegible]/IPA-001/IP-P00[illegible]/2017-18/10[illegible]
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता व ई-मेल पंजीकरण दर्ज कराने के लिए अनुमोदित पता	एफ-1, 2nd फ्लोर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 ई-मेल: cs.navalkumar@gmail.com
10.	ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर को संचार के लिए पता और ई-मेल	एफ-1, 2nd फ्लोर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 ई-मेल: cs.navalkumar@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24.08.2018
12.	संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित दावा जो कि वित्तीय ऋणदाताओं के संबंध में दावा जो कि वित्तीय ऋणदाताओं के संबंध में नहीं है	लागू नहीं
13.	निर्धारित पेशेवरों के पास उक्त फीस में वेतनभोगी या कॉन्ट्रेक्ट पेशेवरों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों की संख्या (प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग)	लागू नहीं
14.	(ए) अंतरिम समाधान फीस (बी) अंतरिम समाधान पेशेवर का पारिश्रमिक जो देय/अदा है	प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग

कॉर्पोरेट ऋणदाता को अपना दावा दो प्रतियों में निर्धारित प्रारूप में इस घोषणा के 14 दिनों के भीतर और अंतिम तारीख तक या उससे पहले अंतरिम समाधान पेशेवर को ई-मेल के जरिये भेजना होगा। दावा भेजे जाने के बाद कॉर्पोरेट ऋणदाता को दावा के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किये जाने के बारे में अंतरिम समाधान पेशेवर को सूचित करना होगा।

ऐसे दावे के साथ यह प्रमाण संलग्न करना होगा कि दावा की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

कृते बोर्ड /-
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.07.2018

सुधीर अरोरा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को पद और गोपनीयता

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. सीए (एमएपी) 984(पीबी) के 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अनुसरण)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

और

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की योजना के मामले में

मामले में :

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, टॉवर-1, जीवन भारती, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है _____आवेदक कंपनी-1/अंतरक कंपनी

तथा

भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है _____आवेदक कंपनी-2/अंतरित कंपनी-1

तथा

भारती हैक्साकॉम लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है _____आवेदक कंपनी-3/अंतरित कंपनी-2

भारती एयरटेल लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के आयोजन हेतु अधिकरण की सूचना का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश दिनांक 14 जून, 2018 ("आदेश") के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ("अधिकरण") की माननीय प्रमुख पीठ, नई दिल्ली ने निर्देश दिया है कि भारती एयरटेल लिमिटेड (अंतरित कंपनी-1) के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड (अंतरित कंपनी-1) तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की प्रस्तावित योजना ("योजना") पर विचार किया जाये तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि अंतरित कंपनी-1 के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक माननीय श्री विनीत सहनी, सदस्य (न्यायिक) के निर्देश के अनुसार, 20 अगस्त, 2018 को अपराह्न 12:10 बजे ("बैठक") आयोजित की जायेगी जिसमें अंतरित कंपनी-1 के उक्त इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि उक्त स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उपस्थित होवें।

कम्पनी (मध्यस्थता एवं समाधान) नियम, 2016 के नियम 6(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत प्रस्तावित योजना की प्रतियां एवं विवरण अंतरित कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 और एफ 1, 1st फ्लोर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 उत्तर प्रदेश में स्थित इसके अधिवक्ता मैसर्स एसोसियेट एन पार्टनर्स के कार्यालय में किसी भी दिवस (रविवार, एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या उसकी ओर से प्रॉक्सी धारक अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते संचालित व्यक्ति द्वारा विधिवत पूर्ण हस्ताक्षरित अन्यथा संचालित विधिवत पूरक में सभी प्रॉक्सी अंतरित कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जमा की जायें। प्रॉक्सी का फार्म बैठक स्थल पर भी उपलब्ध होगा।

माननीय अधिवक्ता श्री अजय पाली, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में श्री संदीप खिरवार, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, चेयरमैन अथवा के तौर पर नियुक्त किया है।

अधिकरण ने श्री अजय पाली, अधिवक्ता को बैठक के निरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय अधिकरण को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक के दौरान भी उपलब्ध होंगी।

स्पष्टीकरण के अधीन रहते हुये मैसर्स एसोसियेट एन पार्टनर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के जरिये उपस्थित होने वाले शेयरधारकों की संख्या, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और उनके द्वारा दिये गये वोटों की संख्या निम्नानुसार है:

	उपस्थित शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	दिये गये वोटों की संख्या
व्यक्तिगत रूप से	0	0	0
प्रॉक्सी के जरिये	0	0	0
कुल	0	0	0

उक्त योजना को बैठक में उपस्थित और वोट देने वाले शेयरधारकों में से 100% ने अनुमोदित किया है।

कृते भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(सौरभ अग्रवाल)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2018

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. सीए (एमएपी) 984(पीबी) के 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अनुसरण)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

और

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की योजना के मामले में

मामले में :

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, टॉवर-1, जीवन भारती, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है _____आवेदक कंपनी-1/अंतरक कंपनी

तथा

भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है _____आवेदक कंपनी-2/अंतरित कंपनी-1

तथा

भारती हैक्साकॉम लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है _____आवेदक कंपनी-3/अंतरित कंपनी-2

भारती एयरटेल लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक के आयोजन हेतु अधिकरण की सूचना का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश दिनांक 14 जून, 2018 ("आदेश") के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ("अधिकरण") की माननीय प्रमुख पीठ, नई दिल्ली ने निर्देश दिया है कि भारती एयरटेल लिमिटेड (अंतरित कंपनी-1) के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, अंतरित कंपनी-1, उनके भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की प्रस्तावित योजना ("योजना") पर विचार किया जाये तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन-सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि अंतरित कंपनी-1 के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक माननीय श्री विनीत सहनी, सदस्य (न्यायिक) के निर्देश के अनुसार, 20 अगस्त, 2018 को अपराह्न 1:30 बजे ("बैठक") आयोजित की जायेगी जिसमें अंतरित कंपनी-1 के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि उक्त स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उपस्थित होवें।

कम्पनी (मध्यस्थता एवं समाधान) नियम, 2016 के नियम 6(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत प्रस्तावित योजना की प्रतियां एवं विवरण अंतरित कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 और एफ 1, 1st फ्लोर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 उत्तर प्रदेश में स्थित इसके अधिवक्ता मैसर्स एसोसियेट एन पार्टनर्स के कार्यालय में किसी भी दिवस (रविवार, एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या उसकी ओर से प्रॉक्सी धारक अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते संचालित व्यक्ति द्वारा विधिवत पूर्ण हस्ताक्षरित अन्यथा संचालित विधिवत पूरक में सभी प्रॉक्सी अंतरित कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जमा की जायें। प्रॉक्सी का फार्म बैठक स्थल पर भी उपलब्ध होगा।

माननीय अधिवक्ता श्री अजय पाली, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में श्री संदीप खिरवार, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, चेयरमैन अथवा के तौर पर नियुक्त किया है। अधिकरण ने श्री विनीत सहनी, सदस्य (न्यायिक) को बैठक के निरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय अधिकरण को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक के दौरान भी उपलब्ध होंगी।

स्पष्टीकरण के अधीन रहते हुये मैसर्स एसोसियेट एन पार्टनर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के जरिये उपस्थित होने वाले शेयरधारकों की संख्या, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और उनके द्वारा दिये गये वोटों की संख्या निम्नानुसार है:

	उपस्थित शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	दिये गये वोटों की संख्या
व्यक्तिगत रूप से	0	0	0
प्रॉक्सी के जरिये	0	0	0
कुल	0	0	0

उक्त योजना को बैठक में उपस्थित और वोट देने वाले शेयरधारकों में से 100% ने अनुमोदित किया है।

कृते भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(सौरभ अग्रवाल)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2018

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. सीए (एमएपी) 985(पीबी) के 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अनुसरण)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

और

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की योजना के मामले में

मामले में :

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, टॉवर-1, जीवन भारती, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है _____आवेदक कंपनी-1/अंतरक कंपनी

तथा

भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है _____आवेदक कंपनी-2/अंतरित कंपनी-1

तथा

भारती हैक्साकॉम लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है _____आवेदक कंपनी-3/अंतरित कंपनी-2

भारती एयरटेल लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के आयोजन हेतु अधिकरण की सूचना का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश दिनांक 14 जून, 2018 ("आदेश") के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ("अधिकरण") की माननीय प्रमुख पीठ, नई दिल्ली ने निर्देश दिया है कि भारती एयरटेल लिमिटेड (अंतरित कंपनी-1) के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, अंतरित कंपनी-1, उनके भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की प्रस्तावित योजना ("योजना") पर विचार किया जाये तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि अंतरित कंपनी-1 के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक माननीय श्री विनीत सहनी, सदस्य (न्यायिक) के निर्देश के अनुसार, 20 अगस्त, 2018 को अपराह्न 12:10 बजे ("बैठक") आयोजित की जायेगी जिसमें अंतरित कंपनी-1 के उक्त इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि उक्त स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उपस्थित होवें।

कम्पनी (मध्यस्थता एवं समाधान) नियम, 2016 के नियम 6(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत प्रस्तावित योजना की प्रतियां एवं विवरण अंतरित कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय भारती कोर्टयार्ड, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 और एफ 1, 1st फ्लोर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 उत्तर प्रदेश में स्थित इसके अधिवक्ता मैसर्स एसोसियेट एन पार्टनर्स के कार्यालय में किसी भी दिवस (रविवार, एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या उसकी ओर से प्रॉक्सी धारक अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते संचालित व्यक्ति द्वारा विधिवत पूर्ण हस्ताक्षरित अन्यथा संचालित विधिवत पूरक में सभी प्रॉक्सी अंतरित कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जमा की जायें। प्रॉक्सी का फार्म बैठक स्थल पर भी उपलब्ध होगा।

माननीय अधिवक्ता श्री अजय पाली, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में श्री संदीप खिरवार, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, चेयरमैन अथवा के तौर पर नियुक्त किया है। अधिकरण ने श्री विनीत सहनी, सदस्य (न्यायिक) को बैठक के निरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय अधिकरण को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक के दौरान भी उपलब्ध होंगी।

स्पष्टीकरण के अधीन रहते हुये मैसर्स एसोसियेट एन पार्टनर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि बैठक में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के जरिये उपस्थित होने वाले शेयरधारकों की संख्या, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और उनके द्वारा दिये गये वोटों की संख्या निम्नानुसार है:

	उपस्थित शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	दिये गये वोटों की संख्या
व्यक्तिगत रूप से	0	0	0
प्रॉक्सी के जरिये	0	0	0
कुल	0	0	0

उक्त योजना को बैठक में उपस्थित और वोट देने वाले शेयरधारकों में से 100% ने अनुमोदित किया है।

कृते भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(सौरभ अग्रवाल)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2018

गोशाला में 36 गायों व

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

मामले की जांच के लिए जिले के विशेष विकास

छावला के घुम्मनहेड़ा गांव की एक गोशाला में शुक्रवार 36 गायों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को शुक्रवार दोपहर करीब 12:10 बजे दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि 20 एकड़ में फैली गोशाला के अंदर पानी भरा हुआ है और कीचड़ के बीच गायें मृत अवस्था में हैं। 1995 में बनी गोशाला सरकार और लोगों के दान की रकम से संचालित होती है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंटो अलफोंस के मुताबिक मामले की छानबीन के लिए जिले के विशेष विकास आयुक्त कुलदीप सिंह गंगर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई है। इसमें पशु चिकित्सक भी शामिल हैं। यह टीम गोशाला का दौरा करेगी और गायों की मौत के कारणों का पता लगाएगी।

नजफगढ़ स्थित गोशाला के बाहर शुक्रवार को लगा एक नोटिस

गोशाला में है 1400 से अधिक गायें

उपायुक्त के मुताबिक घुम्मनहेड़ा गांव में आचार्य सुशील गोसदन ट्रस्ट के नाम से यह गोशाला संचालित है। यहां 1400 से अधिक गायें

जांच एवं चिकित्सकों की टीम

उपायुक्त ने बताया कि गोयला डेयरी फार्म और न
एक टीम घटनास्थल पर भेजी गई है। इनकी
जाएगा। उसके बाद दोषी पाए जाने

हैं और 20 लोग काम करते हैं। बावजूद इसके गोशाला के और गोशी और मच्छरों के अलावा कीचड़ फैला है। आशंका है गोशाला में पानी भर गया है। पता चल रहा है कि कीचड़ और दलित

देखभाल
इलाज न
बड़ी गोश
की व्यव

बेरोजगारी के खिलाफ 31 को आंदोलन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

बेरोजगार युवाओं के लिए 'अनएंप्लॉयड यूथ एकता मंच' की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर हर दस मिनट में एक युवा सुद को बेरोजगारी के खिलाफ चल रही मुहिम से जोड़ रहा है। मंच के अध्यक्ष जगप्रदेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई को मंच तालकटोरा स्टेडियम में बेरोजगार युवाओं का विशाल सम्मेलन बुला रहा है, जहां उनके बीच शिखर संवाद होगा। जगप्रदेश ने कहा कि 31 जुलाई का सम्मेलन देश के इतिहास में एक घटना के रूप में दर्ज होगा।

लोकप्रिय बाजारों से जुड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन (लाइन-सात) का दूसरा चरण देशभक्त साउथ कैंपस-लाजपत नगर खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार को शुरू हो गया। तीसरे चरण के 59 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क शिव विहार कॉरिडोर का यह 8.10 किलोमीटर लंबा खंड अब यात्री सेवाओं के लिए तैयार है।

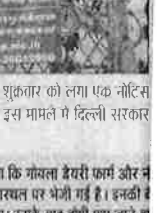
आइएनए मेट्रो स्टेशन का दृश्य।

मजलिस पार्क से दुर्गा
देशभक्त साउथ कैंपस खंड
एक हिस्सा पहले से ही च
कर दिया गया है। नया
शुरू होने से शहर के सरीद

आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा शख्स

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर शुक्रवार को एक शख्स कनॉट प्लेस के एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। शख्स की पहचान उमा महेश रेड्डी (25) के रूप में हुई है। इसकी सूचना सुबह करीब 11:45 बजे पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर नई दिल्ली जिला पुलिस के आला अधिकारी और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उमेश नाम का शख्स जिस टावर पर चढ़ा था, वहां से चंद कदम की दूर पर ही दिल्ली अग्निशमन विभाग का मुख्यालय है। दमकलकर्मियों को भी मौके पर तैनात कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी के मुताबिक, शख्स के हाथ में एक बैनर था, जिस पर लिखा था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की जरूरत है। शख्स ने पुलिस को बताया कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर किसी केंद्रीय मंत्री के आने के बाद ही नीचे उतरेगा।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
(मीन इंडिया मिशन शाखा)
कालपुरुष भवन, भोपाल (म.प्र.)
Office Phone: 0755-2524305, Fax: 0755-2763390, Email:apcofgim@mp.gov.in

जी.आई.एम./2018/219 भोपाल, दिनांक 23/07/2018

NOTICE FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

आला मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (शाखा मीन इंडिया मिशन) कार्यालय, कालपुरुष भवन, भोपाल से योग्य व्यक्ति को **"Procurement Consultant-cum- Financial Expert"** के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट **www.mpforest.gov.in** पर उपलब्ध है। आवेदन एक से अधिक पद विभाग किसी भी खाली रिक्ति पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (मीन इंडिया मिशन) से भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.08.2018 शाम 17.00 बजे तक है।

सह/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(मीन इंडिया मिशन)
कालपुरुष भवन, भोपाल (म.प्र.)

गोपाल हेल्प लाईन
1094/ MP eCOP गोपाईल एप/ आयल 100
G-16696/18

यूनियन क
16184, आर.

[illegible]
कोर्ट हाउस
मंदन, अंक
मार्ग, शाम

इंडिया इंट
पुस्तक प
हॉल, इंडि
मार्ग, शाम
कॉरर्टपयू
विगोयन,
साढ़े तीन

दिनांक: 26/07/2018
स्थान: दिल्ली

नई दिल्ली